Justification

जिला सिवनी के अन्तर्गत घंसौर–केदारपुर मुख्य मार्ग से चरगांव उमरडीह से बखारी माल ग्रेवल सड़क एवं पुल पुनिया निर्माण के वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त मार्ग निर्माण से लगभग 2.59 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त मार्ग का निर्माण हो जाने पर यहां रहने वाले ग्रामवासियों को आने–जाने में सुविधा होगी एवं दुर्घटनाओं में कमी होगी तथा ग्रामवासियों का आवागमन सुगम हो सकेगा।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सिवनी
जिला–सिवनी, म0प्र0